




INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh



Stamp

Certificate No.
Certificate Valid Date
Amount Payable
Stamp No. (Mandatory)
Mortgage No.
Description of Encumbrance
Property Description
Consideration Price (Rs.)
First Party
Second Party
Stamp Duty Paid Rs.
Stamp Duty Amount Rs.

शुद्धीकरण प्रमाण पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि
संबंधित प्रमाण पत्र का मालिक/संबंधित/सदस्य/सह-मालिक
संबंधित प्रमाण पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित
संबंधित प्रमाण पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित
प्रमाणित किया जाता है कि
प्रमाणित किया जाता है कि
संबंधित प्रमाण पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित
प्रमाणित किया जाता है कि
संबंधित प्रमाण पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित



**सत्र 2023-24 में गवस्तापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मली संस्थाओं की
सोसाइटी/ट्रस्ट के अगस्त और सप्टेबर द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नींदरी
राज्य-पत्र का प्रारूप**

इन नींदरी सिंह यादव (नाम अगस्त) कीवती पुनम यादव (नाम सप्टेबर) अगस्त एवं सप्टेबर की प्रस्ताव स्मारक ट्रस्ट, तिलथरी, पोस्ट-सिद्धी कला, राबर्टसनज, सोनपद, उदुवा (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता) राज्यस्तरीय निम्नलिखित बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा की प्रस्ताव स्मारक ट्रस्ट, तिलथरी, पोस्ट-सिद्धी कला, राबर्टसनज, सोनपद, उदुवा (सोसाइटी का नाम एवं पता) की प्रस्ताव स्मारक अगस्त और फार्मली पता तिलथरी, पोस्ट-सिद्धी कला, राबर्टसनज, सोनपद, उदुवा नामक डिप्लोमा इन फार्मली संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम की प्रस्ताव स्मारक ट्रस्ट, तिलथरी, पोस्ट-सिद्धी कला, राबर्टसनज, सोनपद, उदुवा (पता जहां पर नुनि किया है) में अगस्त संख्या 208, 208 व 408 कुल संख्या की एकाक नुनि है।



3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई न की जाये और भूमि निरालोक रहे।
4. यह कि उपरोक्त भू पर सीमापट्टी के साथ सम्बन्ध भूमि के साथ सम्बन्ध 200, 200 व 400 मीटर लम्बाई के प्लॉट (मिटर लम्बाई 4000) पर उपरोक्त भूमि की दिशालोक इन कार्यालय सम्बन्ध की सम्बन्ध दिशे जाने का प्रस्ताव सीमापट्टी/दस्तावेज की दिशा दिनांक 04.12.2020 द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही सम्बन्ध दिशालोक कार्यालय सम्बन्ध की सम्बन्ध हेतु मानकों का निर्माण अनुमोदित नहीं हो अनुमोदित किया गया है।
6. यह कि निम्नलिखित समिति के समक्ष उपरोक्त भू पर सीमापट्टी/दस्तावेज की भूमि भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्माणाधीन भवनों का ही निम्नलिखित समिति के समक्ष निर्माण हेतु अनुमोदित किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर कार्यालय कार्यालय और इन्फिन्स, नई दिल्ली के निर्माण को सम्बन्ध ही दिशालोक कार्यालय सम्बन्ध का ही सम्बन्ध किया जावेगा।
8. यह कि इस सम्बन्ध में कार्यालय कार्यालय और इन्फिन्स, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्रामाणिक सिद्ध परिषद के सम्बन्ध परामर्श एवं प्रमाण प्रमाणों के अनुमोद ही परामर्श में अधिष्ठाता द्वारा किया जावेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में कार्यालय कार्यालय और इन्फिन्स, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्रामाणिक सिद्ध परिषद परामर्श सम्बन्ध परामर्श के सम्बन्ध सम्बन्ध एवं परामर्शों के अधिष्ठाता द्वारा परिषद / निम्नलिखित द्वारा अन्य अनुमोदित/सम्बन्ध और अन्य सम्बन्ध/विद्यालय/व्यावसायिक/आईटी/आईटी आदि का सम्बन्ध न हो पूर्व में कभी किया गया है और न ही परिषद में कभी किया जावेगा।
10. यह कि सम्बन्ध के सम्बन्ध हेतु अधिष्ठाता द्वारा सम्बन्ध परामर्शों एवं कार्यालयों आदि को कार्यालय कार्यालय और इन्फिन्स, नई दिल्ली एवं प्रामाणिक सिद्ध परिषद के मानकों के अनुमोद ही अनुमोदित किया जावेगा।
11. यह कि सम्बन्ध के सम्बन्ध हेतु अधिष्ठाता परिषद एवं अधिष्ठाता द्वारा ही दस्तावेजों सीमापट्टी/दस्तावेज द्वारा सम्बन्ध परामर्श के पूर्व कर किया जावेगा।
12. यह कि सम्बन्ध/परिषद द्वारा निर्मित निर्माण/अवरोधों का भली भाँति सम्बन्ध करेगा। यदि पर सम्बन्ध में किसी भी सम्बन्ध कार्यालय निर्माण में सम्बन्धानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निर्माण एवं सम्बन्धानुसार समिति द्वारा किया गया निर्माण अधिष्ठाता द्वारा एवं दुरु ठीक किया जायेगा। इस हेतु का द्वारा कोई विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
13. मैं ध्यान करती/करता हूँ कि मेरे द्वारा ही नहीं उपरोक्त भूमि में किसी जानकारी में पूर्व रूप से सम्बन्ध है। यदि ही नहीं जानकारी एवं अधिष्ठाता/परामर्शों का ही अनुमोदित ज्ञान बुद्धिपूर्वक पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा निम्नलिखित सम्बन्ध सम्बन्ध कार्यालयों की जा सकती। ऐसी ही पूर्व विधिक कार्रवाई हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगी।



हो संकेत

हो संकेत